

॥ श्री ॥

निगरानी प्रकरण नम्बर

राजेश पिता बदीलाल

R. 869-PBR114

श्री आर.एस. घामरोल
अभिभावक द्वारा दिये
उक्त प्रस्तुत

राजेश पिता बदीलाल
आयु 40 साल, व्यवसाय खेती
ठिकाना ग्राम पीर कराडिया
तह सावेर जिला इन्दौर
वि०

-----प्राथी

18/2/14
श्री

- १११ गंगाराम पिता श्री भागीरथ
- १२१ लक्ष्मीनारायण पिता देवाजी
- १३१ रेश पिता देवाजी
- १४१ सिद्धनाथ पिता भुवान
- १५१ बन्सी पिता बदीलाल
- १६१ मनीज पिता बदीलाल
- १७१ दिनेश पिता बदीलाल

सभी निवासी ग्राम पुवाण्डलाबाई
तह सावेर जिला इन्दौर ----- प्रतिप्राथीगण

निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 50 म०प्र० भू० रा० संहिताके तहत



प्राथी श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार महोदय श्री
हुण्डा द्वारा तहसील सावेर जिला इन्दौर द्वारा पारित
प्रोसीडिंग आदेश दिनांक 15.1.14 से दुखी व व्यथित होकर
जो उन्होंने राजस्व प्रकरण नम्बर 23/13/12-13 में पारित
किया था यह निगरानी आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष
निम्नानुसार प्रस्तुत करता है कि

:: प्रकरण के तथ्य ::

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी 869-पीबीआर/2014 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	<p>आवेदकपक्ष की ओर से श्री आर0एस0घामरोले अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 की ओर से श्री बी0एल0गोमे अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p> A.S.</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	